Title: Need to safeguard the interests of opium growers in Ghosi,U.P- Laid.

श्री बालकृण चौहान (घोसी) : मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत दो विधान सभा क्षेत्रों- क्रमशः घोसी एवं नत्थूपुर में अफीम की खेती से सैंकड़ों किसान पिछले कई वर्ो से अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं।

लेकिन वर्ा 1999-2000 में दैवी आपदा के कारण उनकी सम्पूर्ण फसल नट हो गयी, जिसके कारण अफीम की खेती के सम्पूर्ण एरिया की जुताई संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति में करा दी गयी। उसके बावजूद अधिकारियों ने किसानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया, जिससे अफीम उत्पादक सभी किसान अपने जीविकोपार्जन के साधन से वंचित होने के कारण दयनीय स्थिति में हैं।

पूर्व लम्बरदार किसानों के साथ साथ अन्य किसानों की मांग है कि पूर्व लम्बरदार किसानों के निरस्त लाइसेंस पुनः जारी किये जाएं तथा परगना घोसी एवं मधुबन में अफीम की खेती की उपयोगिता को देखते हुए जनहित में व्यापक क्षेत्रफल में अफीम की खेती की उपयोगिता को देखते हुए जनहित में व्यापक क्षेत्रफल में अफीम उगाने का लाइसेंस प्रदान किया जाए।

अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि परगना घोसी के पूर्व लम्बरदार किसानों का निरस्त लाइसेंस बहाल करें तथा घोसी व मधुबन में व्यापक क्षेत्रफल में अफीम लगाने का लाइसेंस जारी करें।